पत्रांक–VI/विविध/GST-05/2017/ न०वि० 6589(अनु०),
झारखण्ड सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

चन्देश्वर राय,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, (DDOs)
सुडा एवं नगरीय प्रशासन निदेशालय,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड,
सभी शहरी स्थानीय निकाय।

राँची, दिनांक– 23/10/17

विषयः– माल एवं सेवा कर प्रणाली (GST) के अन्तर्गत सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (DDOs) का निबंधन एवं TDS के प्रावधान दिनांक–31.03.2018 तक स्थगित रहने के संबंध में।

प्रसंगः– वाणिज्य–कर विभाग का पत्रांक–3741 दिनांक–10.01.2009 एवं 3795 दिनांक–13.10.17

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा दिनांक–01.07.2017 से VAT के स्थान पर GST लागु हो जाने के कारण दिनांक–31.03.2018 तक सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (DDOs) का GST के अन्तर्गत निबंधन एवं TDS के प्रावधान स्थगित रहने का निदेश दिया गया है।

उपर्युक्त निदेश के आलोक में उल्लेखनीय है कि दिनांक–31.03.2018 तक GST के अन्तर्गत निबंधन एवं TDS के कटौती नहीं की जानी है। अन्य कटौतियों यथा–आयकर के तहत TDS की कटौती, रायल्टी आदि पूर्ववत् के प्रावधानों के अनुसार ही की जायेगी।

अतएव अनुरोध है कि GST के अन्तर्गत TDS की कटौती एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (DDOs) का निबंधन दिनांक–31.03.2018 तक स्थगित रखा जाय।

अनु०–यथोक्त

विश्वासभाजन

(चन्देश्वर राय) 23/X/17
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– VI/विविध/GST-05/2017/ न०वि० 6589 राँची दिनांक– 23/10/17

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/निदेशक, सुडा/निदेशक, नगरीय प्रशासन निदेशालय/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड/सभी नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी, सभी शहरी स्थानीय निकाय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव। 23/X/17

ज्ञापांकः– VI/विविध/GST-05/2017/ न०वि० 6589 राँची दिनांक– 23/10/17

प्रतिलिपिः– श्री कुणाल कुमार, CMM अमृत कोषांग नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव। 23/X/17

A/C-Miss Letter 2016/D/ 272

(C. Roy)

// inform all concerned

श्री दिलीप

20/X/17

झारखण्ड सरकार

वाणिज्य–कर विभाग

पत्रांक–वा0कर / विविध / 75 / 2016– 3795 राँची, दिनांक– 13/10/17

प्रेषक,

के0 के0 खंडेलवाल
प्रधान सचिव–सह–आयुक्त।

5739 सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष,
झारखंड।

विषयः–माल एवं सेवा कर प्रणाली (GST) के अंतर्गत सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (DDO's) का निबंधन एवं TDS के प्रावधान दिनांक 31.03.2018 तक स्थगित रहने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि दिनांक 01.07.2017 से GST लागू हो चुका है। पूर्व में VAT के दौरान कार्य संवेदकों एवं आपूर्तिकर्त्ताओं के विपत्रों पर DDO's के द्वारा 4% TDS की कटौती की जाती थी, लेकिन अब VAT के स्थान पर GST लागू हो जाने के पश्चात् फिलहाल दिनांक 31.03.2018 तक GST के अंतर्गत TDS की कटौती नहीं की जानी है। GST के तहत DDO's का निबंधन भी दिनांक 31.03.2018 तक स्थगित किया गया है। अन्य कटौतियां यथा– आयकर के तहत TDS की कटौती, रॉयल्टी आदि पूर्ववत उन अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार हीं की जाएगी।

विश्वासभाजन

13/10/17

(के0 के0 खंडेलवाल)
प्रधान सचिव–सह–आयुक्त।

1

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य-कर विभाग

पत्रांक-वा0 कर/विविध/75/2016 - 3741 /राँची, दिनांक- 10/10/17

प्रेषक,

राजबाला वर्मा,
मुख्य सचिव,
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष,
झारखण्ड।

विषयः-माल एवं सेवा कर प्रणाली (GST) के अंतर्गत सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (DDO's) का निबंधन एवं TDS के प्रावधान दिनांक 31.03.2018 तक स्थगित रहने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (JGST Act, 2017) के अधीन सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, सरकारी उपक्रम अथवा किसी सरकारी संस्था अथवा इस हेतु अधिसूचित व्यक्तियों द्वारा किसी भी व्यक्ति को माल/सेवा की आपूर्ति के लिए किए जाने वाले भुगतान में से स्रोत पर कर की कटौती का प्रावधान है, यदि आपूर्ति की संविदा का मूल्य रू0 2.5 लाख (ढाई लाख) से अधिक है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत TDS कटौती करने वाले सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, सरकारी उपक्रम के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को compulsory registration लेने का प्रावधान है। लेकिन GST Council की दिनांक 06.10.2017 को संपन्न बैठक में लिये गए निर्णय के आलोक में उक्त प्रावधानों को दिनांक 31.03.2018 तक स्थगित कर दिया गया है। अतः दिनांक 31.03.2018 तक सरकारी विभागों/उपक्रमों/निकायों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का DDO के रूप में registration स्थगित रहेगा। साथ ही, DDO के द्वारा TDS कटौती करने का प्रावधान भी अभी लागू नहीं किया गया है। अतः DDO's के द्वारा विपत्र में फिलहाल TDS की कटौती नहीं की जाएगी।

विभिन्न विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों के द्वारा मालों की आपूर्ति प्राप्त करने एवं कार्य संविदा के क्रम में आपूर्तिकर्त्ता के द्वारा समर्पित विपत्रों में Recepient of supply के कॉलम में विभाग/कार्यालय का नाम एवं पता अंकित रहेगा। इन विपत्रों में GSTIN of Recepient of supply के कॉलम में कोई GSTIN Number नहीं रहकर विभाग/कार्यालय का मात्र नाम एवं पता ही रहेगा।

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 10.X.2017
मुख्य सचिव,
झारखण्ड, राँची।

D/Rund/Hindi Letter 17-18/530